न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2015 निगरानी

1. कैलाश पुत्र हरचन्दा जाति मीना निवासी खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा

निगरानीकर्ता

बनाम

1. धारासिंह पुत्र रणजीता मीना जाति मीना निवासी खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत खटवा, पंचायत समिति लालसोट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खटवा पंचायत समिति लालसोट

गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध पट्टा सं. 25 ग्राम पंचायत खटवा द्वारा दिनांक 05.09.2008 को बहक धारासिंह को दिए गए पट्टा अंतर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थिति : श्री एच.एन.माठा अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री ब्रज मोहन गौड अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 01 उपस्थित ।

—:निर्णय:— दिनांक: 11.9.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की आबादी भूमि में नजराना लेकर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई कानूनन हक अधिकार हासिल नही था। फिर भी समस्त कानूनी प्रक्रिया एवं नियमों को ताक में रखकर तत्कालीन ग्राम पंचायत खटवा के सरपंचा द्वारा दिनांक 05.09.2008 को बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं ग्राम पंचायत के कोरम के निर्णय के बगैर बिना ग्राम पंचायत में कोई पत्रावली बनाये अवैध व गैर कानूनी तरीके से दिनांक 05.09.2008 को अप्रार्थी सं. 01 के हक में पट्टा सं. 25 जारी कर दिया जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.09.2008 को जारी पट्टा सं. 25 पर न प्रस्ताव सं. है न रसीद सं. क्रम सं. 01 से 03 की इबारत भी सम्पूर्ण खाली है। ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नही होना यह साबित करता है कि पट्टे बाबत ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रक्रिया की पालना नही की गई है। प्रश्नगत पट्टा भूमि निगरानीकार के कब्जे की भूमि है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रगश्नगत पट्टा सं. 25 दिनांक 05.09.2008 खारिज फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया की किसी भी निगरानी के साथ पंचायत अथवा अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग प्रस्तुत होनी चाहिए। निगरानीकार को प्रतिलिपि कहां से मिली, प्रतिलिपि के आधार पर रिवीजन कैसे किया गया । यह कहना सरासर गलत है कि पिता ने पुत्र के नाम पट्टा जारी कर दिया। पट्टे का रिकार्ड रखना पंचायत की जिम्मेदारी है। रिकार्ड उपलब्ध नही हैं, यह कहने से यह साबित नही होता की पट्टा का रिकार्ड बना ही नही। प्रश्नगत पट्टा भूमि मेरी कब्जा शुदा भूमि है। जिससे सम्बन्धित रिकार्ड पेश किया गया है। प्रश्नगत पट्टा के सम्बन्ध में न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा ने वाद सं. 25/2011 दिनांक 22.03.2018 को प्रार्थी (गैर निगरानीकार) के पक्ष में डिक्री फरमाया गया है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यद्यपि ग्राम पंचायत खटवा द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है, किन्तु अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के दस्तावेजात की छायाप्रतियों का अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टा भूमि गैर निगरानीकार सं0 1 को विक्रय किये जाने सम्बन्धित कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त गैरनिगरानीकार सं. 01 द्वारा न्यायायल अतिरिक्त वरि0 सिविल न्यायाधीश–2 लालसोट में प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेघाज्ञा दीवानी दावा सं. बीटी नं. 02/13 (25/2011) में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2018 के अनुसार प्रतिवादी कैलाश (निगरानीकार) के विरूद्ध डिक्री किया जाकर निगरानीकार को स्थायी निषेघाज्ञा पाबन्द किया जाकर गैर निगरानीकार सं. 01 की स्वामित्व शुदा ग्राम खटवा में स्थित पट्टेशुदा भूखण्ड जो कि उत्तर दक्षिण 42 फिट एवं पूर्व पश्चिम 55 फिट है पर किसी प्रकार पत्थर या अन्य सामग्री डालकर कब्जा अथवा दखलन्दाजी ना करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा सं. 25 दिनांक 05.09.2008 ग्राम पंचायत खटवा बहक धारासिंह पुत्र रणजीत जाति मीना निवासी खटवा के विरूद्ध निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official